



सं. 4/31/2017-प्रशि/301-307

दिनांक: 19 जनवरी, 2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय आदेश सं. 4/31/2017-प्रशि/8536-92 दिनांक 22/12/2017 के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिभागिता / प्रतिभागिता में छूट, अध्यक्ष महोदय, के.ज.आ. की स्वीकृति के अनुसार दिनांक 23-24 जनवरी, 2018 को तिरुवनन्तपुरम (केरल) में होने वाली "इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस"- 2018" हेतु दी जाती है।

(अ) नए प्रतिभागी का नाम:

श्री बी.के. कारजी, निदेशक प्रबोधन (केंद्रीय), के.ज.आ., नई दिल्ली।

(ब) प्रतिभागी जिनको प्रतिभागिता से छूट प्रदान की गयी :

श्री संजीव अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबोधन संगठन, के.ज.आ., नई दिल्ली।

(अ)में अंकित अधिकारी निम्न नियम और शर्तों से शासीत होंगे।

1. नियमानुसार यात्रा /देनिक भत्ता के हकदार होंगे।
2. पूर्ण वेतन व भत्ता के हकदार होंगे।
3. उनके स्थान पर कोई अन्य प्रतिस्थापित नहीं किया जायगा।


30.01.2018
(रमेश कुमार)
निदेशक

प्रतिनिधि:

1. अध्यक्ष महोदय के व्यक्तिगत निजी सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली।
2. सदस्य (जल आयोजन और परियोजना) के व्यक्तिगत निजी सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली।
3. निदेशक, समन्वय (जल आयोजन और परियोजना), के.ज.आ., नई दिल्ली।
4. निदेशक(बांधसुरक्षाएवंपुनर्वास)औरपरियोजनानिदेशक(बांधपुनर्वासऔरसुधारपरियोजना)के.ज.आ.,न्यूलाइब्रेरी बिल्डिंग, नई दिल्ली।
5. संबन्धित अधिकारी। कृपया कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागिता आख्या प्रेषित करे।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रशिक्षण)। कृपया आदेश के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।